अपीलीय अधिकरण कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 29/2022 (वरिष्ठ नागरिक अपील)

1. राधेश्याम डंगायच पुत्र श्री ग्यारसी लाल डंगायच
2. श्रीमती रामेश्वरी डंगायच पत्नी श्री राधेश्याम डंगायच

निवासीगण प्लाट नम्बर 1, खण्डेला हाऊस, अम्बर टॉवर के पीछे, संसार चन्द्र रोड, जयपुर ।

अपीलार्थी

बनाम

1. राजीव डंगायच पुत्र श्री राधेश्याम डंगायच
2. श्रीमती अनिता पत्नी श्री राजीव डंगायच
3. सागर डंगायच पुत्र श्री राजीव डंगायच

निवासीगण प्लाट नम्बर 1, खण्डेला हाऊस, अम्बर टॉवर के पीछे, संसार चन्द्र रोड, जयपुर।

4. संजय गुप्ता पुत्र श्री राधेश्याम डगायच

निवासी प्लाट नम्बर 1 खण्डेला हाऊस, अम्बर टावर के पीछे, संसार चन्द्र रोड, जयपुर हाल निवासी प्लाट नम्बर 80/421 मानसरोवर, जयपुर

प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 16 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 विरूद्व आदेश दिनांक 15.09.2022 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर प्रकरण संख्या 116/2022 ब उनवानी राधेश्याम डंगायच बनाम राजीव डंगायच व अन्य

उपस्थितः–

1. अपीलान्ट्स मय प्रतिनिधि उपस्थित है।
2. प्रत्यर्थीगण मय प्रतिनिधि उपस्थित है।

निर्णय दिनांक 05.02.2024

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर के प्रकरण संख्या 116/2018 ब उनवानी राधेश्याम डंगायच बनाम राजीव डंगायच व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.09.2022 से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रत्यर्थीगण मय प्रतिनिधि उपस्थित है। अधीनस्थ अधिकरण से मिसल मातहत तलब की गई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

4. अपीलार्थी ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5/23 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 मय स्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र इस आशय का अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थीगण वरिष्ठ नागरिक है। वर्तमान में अपीलार्थी संख्या एक श्री राधेश्याम डंगायच अपने स्वयं की आय से अर्जित मकान नम्बर 1 खण्डेला हाऊस, अम्बर टॉवर के पीछे, संसार चन्द्र रोड, जयपुर में भू तल पर अपनी पत्नी के साथ निवास कर रहा है । अपीलार्थी संख्या एक अपनी पत्नी के साथ प्लाट नम्बर 80/421 मानसरोवर जयपुर में कभी कभी अपने पुत्र संजय गुप्ता के पास आते जाते रहते है। प्रत्यर्थी कम 1 अपीलार्थी संख्या 1 के पुत्र है तथा प्रत्यर्थी कम 2 प्रत्यर्थी कम 1 की पत्नी है व अपीलार्थीगण की पुत्रवधु तथा प्रत्यर्थी कम–3 अपीलार्थीगण का पौत्र है जो वर्तमान में उपरोत मकान मे बतोर लाईसेन्सी निवास कर रहे है। अपीलार्थी संख्या एक वर्ष 1958 में भारतीय जीवन बीमा निगम में पदस्थापित हुआ तथ वर्ष 1969 में अपनी स्वअर्जित आय से एक प्लाट नम्बर 1, खण्डेला हाऊस अम्बर टॉवर के पीछे संसार चन्द्र रोड, जयपुर की सम्पूर्ण राशि नियमानुसार अदा कर स्वयं के नाम से विकय पत्र पंजीकृत करवा कर कय किया था । तत्पश्चात अपनी स्व अर्जित आय से ही अपने विभाग भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण लेकर एक मंजिल निर्माण वर्ष 1971 पूर्ण करवा लिया जिस पर अपीलार्थी अपने परिवार सहित निवास करता आ रहा है जिसका कुल माप 375.68 वर्गगज है। अपीलार्थी संख्या एक एल आई सी से वर्ष 1995 में सेवा निवृत्त होने के उपरान्त वकालत का काम कर रहा है जो वृद्वावस्था की वजह से तथा प्रत्यर्थीगण द्वारा हैरान व परेशान करने से सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। उक्त मकान पर अपीलार्थी संख्या एक का रिहायश के अतिरिक्त अधिवक्ता चैम्बर/कार्यालय बना हुआ है। जिसमें उसकी किताबें फाईलें, टैबिल कुर्सियां रखी है। प्रत्यर्थी वर्ष 1996 से किराये के अलग मकान में रहते थे । वर्ष 2008 मे प्रत्यर्थी संख्या एक ने मानसरोवर में स्वयं का अलग से मकान बनाना प्रारम्भ किया तथा उस समय अचानक किराये के मकान से सम्पूर्ण सामान लेकर अपीलार्थी संख्या 1 के उपरोक्त मकान पर प्रत्यर्थी आये और कहा कि मकान मालिक ने अचानक मकान खाली करवा लिया है, उसके पास ठहरने के लिए अन्य कोई मकान नहीं है । अन्य व्यवस्था होने तक अथवा मानसरोवर का मकान का कार्य पूर्ण होने तक उसे इसी मकान में रहने दिया जाए । इस पर अपीलार्थी संख्या 1 ने अपने उपरोक्त स्वयं अर्जित मकान मे बतौर लाईसेन्सी प्रत्यर्थी संख्या 1 ता 3 सभी को रहने दिया । इस प्रकार कुछ समय के लिए प्रत्यर्थीगण अस्थाई रूप से अपीलार्थी संख्या एक के उपरोक्त मकान मे रहने के लिए आये तथा बाद में कहने पर भी खाली नहीं किया व टामलटोल करते रहे । प्रत्यर्थी सख्या एक के पास स्वयं का महेश नगर बैंक कालोनी में भी तीन मंजिल का बड़ा मकान है जिसमें करीब 40–50 कमरे बने हुये है जो किराये पर दे रखे है। इसके अतिरिक्त मानसरोवर सैक्टर–7 जयपुर में एच आई जी का एक पूरा निर्मित मकान है, उसको भी किराये पर दे रखा है। इसके अलावा प्रत्यर्थी कम एक के पास कई फ्लेट्स, अम्बर टॉवर में एक व्यवसायिक दुकान है जो भी किराये पर दे रखी है। प्रत्यर्थी संख्या एक का ज्वलैरी का लम्बा चौडा कारोबार है उसमें प्रत्यर्थी ने उपरोक्त सम्पत्तियों के अतिरिक्त दो फार्म हाउस भी बना रखे है व अन्य कई बेनामी सम्पत्तियां है जिसकी जानकारी अपीलार्थी संख्या एक को नहीं है। उसके बावजूद भी प्रत्यर्थीगण, अपीलार्थी संख्या एक को उक्त मकान से बेदखल करने पर उतारू हो रहे है जबकि अपीलार्थी संख्या एक के पास इस मकान के अलावा रहने के लिए अन्य कोई मकान नहीं है।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

अपीलार्थी 80 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति है, जिसका स्वास्थ्य अक्सर खराब रहता है, इसके बावजूद भी प्रत्यर्थीगण, अपीलार्थी संख्या 1 को पेरशान करते रहते है एवं उक्त सम्पत्ति पर कब्जा कर अपीलार्थी संख्या एक को उक्त सम्पत्ति से बेदखल करना चाहते है। जिसका प्रत्यर्थीगण को कोई कानूनी हक नहीं है। अपीलार्थी संख्या एक प्रत्यर्थीगण के आये दिन झगड़ा फसाद व मानसिक प्रताड़नाओं व अपमान से बचने के लिए अपने छोटे पुत्र के पास मानसारोवर चले जाते है व लौट कर वापस अपने मकान में आते है, तो प्रत्यर्थी कम 1 ता 3 घर का दरवाजा नहीं खोलते है कई कई देर तक खड़े रहना पडता है। उनके घर पर आने के बाद खाना पानी, चाय पानी के लिए भी नहीं पूछते है। अपीलार्थी संख्या एक को येनकेन प्रकारेण अपना व अपनी पत्नी को खाना व दैनिक नाश्ता आदि की व्यवस्था करनी पड़ती है। अपीलार्थी संख्या एक का पुत्र प्रत्यर्थी कम एक उनके कहने में नही है जो आये दिन झगडा फसाद गाली गलोच व दुव्यवहार करता रहता है। उसके देखा देख प्रत्यर्थी 2 व 3 भी बिना बात के अपीलार्थीगण से लड़ाई करते है । अपीलार्थी की फाईले किताबे उठा कर फैंक देते है। जुलाई–अगस्त 2019 में प्रत्यर्थी कम 1 ने अपीलार्थी संख्या एक की बिना सहमति व अनुमति के उपरोक्त स्व अर्जित आय के मकान पूर्व से पश्चिम 62 फिट गुणा 15 फिट हवा रोशनी के लिए छोडे गये सैटबैक पर बिना इजाजत निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया व उस पर छत डाल दी जिससे अपीलार्थीगण के मकान में हवा रोशनी बंद हो गई। बेडरूम, ड्राईंगरूम रसोई व आफिस में पूरी तरह से प्राकृतिक हवा रोशनी बंद हो गयी व उस पर भी निर्माण कार्य करने पर आमादा हुआ जिससे अपीलार्थी संख्या एक ने दीवानी वाद स्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय सिविल न्यायाधीश कनिष्ट खण्ड (पश्चिम) जयपुर महानगर जयपुर के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें दिनांक 27.08.2019 को स्थगन एवं यथास्थिति के आदेश अपीलार्थी संख्या एक के पक्ष में मान्य न्यायालय द्वारा पारित किया गया। उसके बाद भी लगातार अपनी मनमर्जी से निर्माण कार्य करने व अन्य सारभूत परिवर्तन करने से बाज नहीं आया। अपीलार्थीगण के पुत्र राजीव डंगायच ने अपने प्लाट में उत्तर की ओर बनी दुकान व गैराज पोर्शन को भी मनमर्जी से तोड़फोड़ कर दिया। जबकि अपीलार्थीगण को उक्त दुकान से किराये की आमदनी होती है। इस प्रकार अपीलार्थीगण को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के मनमर्जी के सभी कार्य करता रहता है। प्रत्यर्थी कम 1 ता 3 बार बार अपीलार्थीगण उपरोक्त मकान से बेदखल करने पर आमादा रहते है व कहते है कि अपीलार्थीगण अपने छोटे पुत्र के मकान में रहे जो कि अपीलार्थीगण ने बना कर दिया। जबकि वास्तविकता यह है कि अपीलार्थीगण का छोटा पुत्र वर्ष 1988 में सिविल इंजिनीयर बना है उसने भी अपनी स्व अर्जित आय से मानसरोवर में मकान खरीदा उस वक्त प्रत्यर्थी संख्या 4 ने स्नेहवश अपीलार्थी संख्या 2 का नाम इन्द्राज करवाया, परन्तु सम्पूर्ण धन राशि अपीलार्थीगण के छोटे पुत्र प्रत्यर्थी संख्या 4 ने ही खर्च की है। अपीलार्थीगण का उक्त मकान के स्वामित्व से कोई लेना देना नहीं है, परन्तु प्रत्यर्थी कम 1 ता 3 अपीलार्थी संख्या एक को उसकी पत्नी के साथ अपने स्व अर्जित आय के मकान से निकालकर स्वयं हडप करना चाहते है। जिसका प्रत्यर्थीगण को कोई अधिकार नहीं है। अधीनस्थ अधिकरण ने अपलार्थीगण का परिवाद आंशिक स्वीकार कर आदेश पारित किया है कि " अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 को पावन्द किया जाता है कि वे प्रार्थीगण को उनके आवास प्लाट नम्बर 1 खण्डेला हाउस अम्बर टॉवर के पीछे संसार चन्द्र रोड जयपुर में प्रार्थीगण के शान्ति पूर्ण रहन सहन व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की कोई बाधा कारित नही करें, उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करे एवं शान्ति

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

पूर्वक निवास करने देवें।" उक्त आदेश में अधीनस्थ अधिकरण ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र का कोई खण्डन प्रत्यर्थी 1 ता 3 द्वारा नहीं किया गया ना ही आज तक कोई जबाब ही प्रस्तुत किया गया । फिर भी अधीनस्थ अधिकरण ने बिना कोई टिप्पणी किये बिना कोई विशिष्ट कारण बताये अपीलार्थीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष बाबत बेदखली पारित नही किया जा सकता का अंकन नहीं किया जो विधि के प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। अधीनस्थ अधिकरण ने इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया कि अपीलार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में सम्पूर्ण भुगतान के दस्तावेज प्रस्तुत किये जिसे प्रत्यर्थी संख्या 4 के अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थीगण के तथ्यों से सहमति जारी की, परन्तु प्रत्यर्थी संख्या 1 ता 3 के बिना उपस्थित हुए ही उनके पक्ष में आदेश पारित कर दिया। अपीलार्थी द्वारा चाहे गये अनुतोष बाबत बेदखली का आदेश ठुकरा दिया जिसका कोई स्पष्ट आधार अंकित नही था, केवल मात्र यह अंकित है कि प्रार्थी द्वारा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया जिससे यह साबित होता है कि भरण पोषण की शर्त के अधीन कोई अन्तरण किया गया हो । इसलिए बेदखली की कार्यवाही पर कोई आदेश नहीं दिया, बल्कि अपीलार्थीगण को मजबूरीवश अपने मकान में रहने के आदेश प्रदान किये जो अपास्त किया जाना न्यायोचित है। अपीलार्थी एक वरिष्ठ नागरिक है। सम्पूर्ण घटनाओं का उल्लेख अपने परिवाद में प्रार्थीगण की ओर से किया गया जिसमें जब जब भी प्रार्थीगण उक्त मकान में निवास करने हेतु गये प्रत्यर्थी संख्या 1 ता 3 ने ताले लगा रखे है, कैमरे लगा रखे है, मकान को छावनी के रूप में बदल दिया गया है। उक्त तथ्यों पर कोई गौर नहीं कर अधीनस्थ अधिकरण द्वारा आदेश पारित किया है जो तथ्यों की गलत व्याख्या पर आधारित है। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पारित आदेश वेग व अस्पष्ट है तथा उसमें कोई कारण दर्शित नहीं किया जबकि बेदखली का आदेश न देने से अपीलार्थीगण को घोर मासिक व शारीरिक उत्पीडना हो रही है । अपनी आयु के इस पडाव पर अपीलार्थीगण को अपने द्वारा निर्मित सम्पत्ति के उपयोग उपभोग के लिए न्यायालय में धक्के खाने पड़ रहे व नारकीय जीवन जीना पड़ रहा है, परन्तु अधीनस्थ अधिकरण द्वारा अधिनियम के वास्तविक उद्देश्यों का कोई मान नहीं रखा है। यहां यह भी उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि अपीलार्थीगण द्वारा बार बार पुलिस में शिकायत करने की प्रतियां भी प्रस्तुत की है जिस पर से पुलिस द्वारा केवल व मात्र औपचारिकता का निर्वहन किया गया है। अधीनस्थ अधिकरण ने उस पर कोई गौर नहीं किया । अधीनस्थ अधिकरण ने अपने आदेश दिनांक 15.09.2022 में आवश्यक बिन्दू अपूर्तनीय क्षति पर कोई राय व्यक्ति नही की । प्रत्यर्थी संख्या 1 ता 3 अपीलार्थी के खरीद शुदा व कब्जे शुदा भवन में निर्माण करवा रहे है यदि उन्हें निर्माण करने से नहीं रोका गया तो अपीलार्थी अपने अधिकारों से वंचित हो जायेगा। अपीलार्थी की ओर से दौराने बहस माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा पारित बेदखली आदेश न्यायिक दृष्टान्त राकेश सोनी व अन्य बनाम श्रीमती प्रेम लता सोनी व अन्य में पारित आदेश दिनांक 18.10.2019 व हाल ही में माननीय उच्च न्यायालय एस दी सिविल रिट पीटीशन सख्या 6089/2019 सुरेश शर्मा बनाम धनवन्ती शर्मा में पारित न्याय निर्णय 4.7.2022 प्रस्तुत किया था, परन्तु अधीनस्थ अधिकरण द्वारा उक्त न्यायिक दृष्टान्तो का ना तो अवलोकन किया गया ना ही अपने आदेश दिनाक 15.09.2023 में किसी प्रकार का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ अधिकरण का आदेश बिना न्यायिक निर्णयों व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों दस्तावेजों व शपथ पत्रों के विपरीत जाकर पारित किया गया है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जा कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.09.2022 को अपास्त किया

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

जाकर अपीलार्थी द्वारा चाहे गये अनुतोष के अनुसार प्रत्यर्थी संख्या 1 ता 3 को बेदखल किया जावे व अपीलार्थीगण की वादग्रस्त विषय वस्तु के उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार की बाधा ना तो स्वयं डाले ना किसी अपने ऐजेन्ट व सर्वेन्ट प्रतिनिधि से ही करवाये ।

5. प्रत्यर्थी संख्या एक लगायत 3 ने उक्त तर्कों का खण्डन करते हुये दलील पेश की अपीलार्थी पूर्व में भारतीय जीवन बीमा निगम में पदाधिकारी थे जो वर्ष 1996 में सेवा निवृत्त हुये उसके पश्चात विधि स्नातक होने के कारण अपना पंजीकरण बार काउसिंल में करवा लिया। वर्तमान में पेंशन पर्याप्त रूप से मिलती है जिनके जीवन यापन में किसी प्रकार की बाधा नहीं है। अपीलार्थी के पिता स्वर्गीय श्री ग्यारसी लाल जी काफी धनाढ्य व्यक्ति थे जिनके चार पुत्रों में अपीलार्थी, दामोदर जी, गोविन्दशरण जी व राकेश जी हुये जिनमें बिचून गांव का मकान पारिवारिक समझोते में दामोदर जी को मिला, दुकान व शास्त्री नगर में मकान दोनों छोटे भाईयों गोविन्द शरण व राकेश डंगायच को मिला व अपीलार्थी ने नगद जेवर आदि लिये। बुजर्गो की सम्पत्ति, नगद जेवर आदि जो प्राप्त हुये, उससे अपीलार्थी संख्या एक ने विवादित भू–खण्ड खरीद कर निमार्ण करवाया । अपीलार्थी को प्रारम्भ में भारतीय जीवन बीमा निगम में काफी अल्प वेतन मिलता था। जिससे मात्र परिवार के दो पुत्र राजीव डंगायच, संजय गुप्ता, बिन्दू व रेखा का पालन पोषण बड़ी मुश्किल से हो पाता था। इसलिए प्रार्थी का यह कथन गलत है कि उक्त भू खण्ड अपीलार्थी की स्व अर्जित सम्पत्ति है। अपीलार्थी, प्रत्यर्थी सहित अपने परिवार के साथ सन् 2000 तक निवास करते थे बाद में जो मकान अपीलार्थी ने अपनी पत्नी अर्थात प्रत्यर्थी की माता श्रीमती राम प्यारी देवी के व पुत्र संजय गुप्ता के नाम से क्रय किया था उसको निर्मित करवा कर उनके साथ स्थाई रूप से रहने लगे तथा अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी को उक्त सम्पत्ति रहने के लिए आपसी पारीवारिक समझोते में सन् 2000 से रहने के लिए उसके हक में किराये शुदा सम्पत्ति को छोड कर बाकी भाग का परित्याग कर दिया तथा एक भाग दक्षिणी तरफ का जिसमें एक बडा हाल तथा दो कमरे तथा बेसमेन्ट को दिनांक 02 जनवरी 2008 से लीज एग्रीम्रेन्ट के द्वारा सम्भला दिया गया। जिसका वर्तमान में किराया 10000/–रूपये प्रति माह प्रत्यर्थी अदा करता है। जिसमें प्रत्यर्थी अपना कारोबार मैसर्स आउटलुक जेम्स एण्ड ज्वेलरी प्रा॰ लि॰ के नाम से करता आ रहा है तथा नियमित किराया भी अपीलार्थी को अदा करता आ रहा है। प्रत्यर्थी अपने पिता व माता का पूरा आदर सम्मान रखता है ओर उनकी सेवा सुश्रूषा करता आ रहा है, कभी कोई झगडा फसाद करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। अपीलार्थी प्रत्यर्थी के पुत्र की शादी व प्रत्येक वार, उत्सव व कार्यक्रमों में सम्मलित होते रहते हे तथा प्रत्यर्थी व उसकी पत्नी पुत्र आदि उनके प्रति सम्मान में कोई कमी नहीं रखते है। चूंकि विवादित भू खण्ड सडक से करीब 3 फुट नीचे है तथा कालान्तर में निरन्तर विकास कार्य होने व सड़क की ऊंचाई बढने के कारण बारिश के दौराने खाली भू खण्ड में पानी भर कर ड्राइंग रूम तथा बेसमन्ट पानी से भर जाते है जिससे प्रत्यर्थी को रहने व अपने सामान आदि का रखने में भारी असुविधा उत्पन्न होती है। बरसात का पानी भू खण्ड में इक्ट्ठा हो कर भराव नहीं हो और सम्पत्ति को नुकसान न पहुंचे व जन हानि नहीं हो, इसलिए अप्रत्यर्थी ने लाखों रूपये खर्च कर निर्माण कराया जिसकी जानकारी प्रारम्भ से ही अपीलार्थी को रही है और सिद्वान्त तरा अपीलार्थी उक्त निर्माण के विरोधी नहीं रहे है। इस निर्माण से कोई हवा रोशनी समाप्त नहीं हुई तथा न उनके उपयोग उपभोग मे कोई बाधा होती है। अपीलार्थी द्वारा मान्य सिविल न्यायाधीश एवं महा नगर मजिस्ट्रेट (पश्चिम)जयपुर महानगर द्वितीय में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर रखा है

जिला मजिस्ट्रेट
जयपुर

जिसमें यथा स्थिति के आदेश पारित है। अत अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने का आदेश फरमावें।

6. प्रत्यर्थी संख्या 4 ने अपीलार्थीगण के कथनों का समर्थन करते हुये अपील स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया है।

7. उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं मिसल मातहत का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ।

8. अपीलार्थी ने यह अपील प्रस्तुत कर माता पिता व वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 23 (1) के तहत प्रत्यर्थीगण को विवादित मकान से बेदखल करने का अनुतोष चाहा है। अधिनियम की धारा 23 यह उपबन्ध करती है कि जहां किसी वरिष्ठ नागरिक ने इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात दान द्वारा या अन्यथा अपनी सम्पत्ति का अन्तरण इस शर्त के अधीन किया है कि अन्तरिती अन्तरक को मूलभूत सुविधाओं और मूलभूत शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा और ऐसा अन्तरिती ऐसी सुविधाओं और शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने से इन्कार करता है या असफल रहता है, वहां सम्पत्ति इस प्रकार उक्त अन्तरण कपट या प्रपीड़न द्वारा या असम्यक असर के अधीन किया गया माना जाएगा और अन्तरक की वांछा पर अधिकरण द्वारा शून्य घोषित किया जावेगा। धारा 23 में दान द्वारा या अन्यथा (Otherwise) सम्पत्ति का अन्तरण किया जाना शामिल है। जिसमें लिखित व मौखिक अन्तरण भी हो सकता है। इस सम्बध में समय–समय पर माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी माता–पिता व वरिष्ठ नागरिक के पक्ष में निर्णय पारित किये गये है। इसलिए अपीलार्थीगण का यह अनुतोष स्वीकार किया जाना उचित पाते है। फलस्वरूप अपील स्वीकार की जाती है।

9. अपीलार्थी संख्या 1 के स्वामित्व की सम्पत्ति मकान संख्या 01 खण्डेला हाऊस, अम्बर टॉवर के पीछे, संसार चन्द्र रोड जयपुर से प्रत्यर्थी संख्या 1 ता 3 को बेदखल किये जाने का आदेश दिया जाता है। अपीलार्थीगण के उक्त मकान में रहने में प्रत्यर्थीगण 1 ता 3 किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे। अपीलार्थीगण के साथ सद्व्यवहार करने व किसी प्रकार से गाली गलौच नहीं करने हेतु प्रत्यर्थीगण 1 ता 3 को पाबन्द किया जाता है।

आदेश की प्रति हस्ब कायदा धारा 16(7) के तहत उभय पक्षकारान को निः शुल्क भेजी जावे। आदेश की प्रति मय मिसल मातहत माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिकरण उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

11. निर्णय आज दिनांक **05.02.2024** को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner